बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या–9/आरोप (राज0)(उ0)–2–02/2012 2254/ पटना, दिनांक– 28.06.19

श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा के विरूद्ध विदेशी शराब/वीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाना एवं कर्त्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प संख्या–2498 दिनांक 22.05.2012 द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। विभागीय जॉच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी ने जॉच में श्री अश्विनी कुमार के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया । जॉच प्रतिवेदन एवं श्री अश्विनी कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के परन्तुक के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.06.2016 के मद सं0–28 के रूप में प्रदान की गयी स्वीकृति के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–3038 दिनांक 28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

2. श्री कुमार द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.–610/2017 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.05.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्न है :–

" The order of the disciplinary authority is non-speaking and proceeds to uphold the guilt mechanically without discussing the defence led by the petitioner and as I have observed, without dealing with the issue raised. The entire proceedings questioned in the writ petition is a bundle of illegalities and cannot be upheld and in consequence, the entire proceedings including the chargesheet, the enquiry report together with the impugned order of dismissal bearing memo No.3038 dated 28.6.2016 passed by the State Government in its Registration, Excise and Prohibition Department impugned at Annexure-28 cannot be upheld and are accordingly quashed and set aside. The petitioner is reinstated with full consequential benefits. The writ petition is allowed. In result, the review petition stands disposed of."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 09.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध विधि विभाग के परामर्श से L.P.A. No.- 1123/2017 दायर किया गया। L.P.A. No.- 1123/2017 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक 11.10.2018 को अधोलिखित आदेश पारित किया गया है:–

" In view of the above and for the reasons stated above, we modify the impugned judgment and order passed by the learned Single Judge to the extent to reserve liberty in favour of the appellant-State to hold a fresh de novo enquiry in accordance with law and the

rules on the same charge. The present Letters Patent Appeal is partly Allowed to the aforesaid extent.."

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. No.– 1123/2017 में दिनांक 11.10.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग का परामर्श निम्न है:–

"The Hon'ble Division Bench only upheld the part of the order of the Hon'ble Single Judge by which the punishment of dismissal had been inflicted and enquiry proceeding after the stage of framing of the charge memo and gave liberty to the State to move afresh from the stage of framing of charges (the same charge) and hold a de novo enquiry afresh in accordance with law.

The said order being an order in favour of the State, why the State wishes to file an appeal is not manifest.

In my opinion, it is open to the State to proceed afresh i.e. on the same charge and to conduct a de novo enquiry in accordance with law."

5. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा L.P.A. No.–1123/2017 में पारित आदेश में श्री अश्विनी कुमार के विरूद्ध पूर्व गठित आरोप के आधार पर नियामानुसार नये सिरे से विभागीय कार्यवाही चलाने की छूट दी गयी है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(5) के अनुसार "जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युक्ति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणाम स्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा।"

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से श्री अश्विनी कुमार को सेवा में वहाल कर पूर्व गठित आरोपों के आधार पर नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने और श्री कुमार को उनकी बर्खास्तगी की तिथि 28.06.2016 से लगातार अगले आदेश तक निलंबित रखने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया।

7. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 25.06.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अनुशंसा की गयी है:–

"श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त कर पुनः सेवा में बर्खास्तगी की तिथि 28.06.2016 से ही लगातार अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रखते हुए सेवा में बहाल करने एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता का

भुगतान किये जाने तथा L.P.A. No.– 1123/2017 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 11.10.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री अश्विनी कुमार के विरूद्ध पूर्व गठित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुकूल विभागीय कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी।''

8. अतः समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक 28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश को निरस्त करते हुए उसी तिथि से सेवा में बहाल किया जाता है। श्री कुमार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (5) के तहत् दिनांक 28.06.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबनाधीन रहेगें। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय उपायुक्त मद्य निषेध, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

9 . इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/06/19

(अभय राज)
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आरोप(राज0)(उ0)–2–02/2012 –2254/ पटना, दिनांक– 28.06.19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/06/19

सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आरोप(राज0)(उ0)–2–02/2012 –2254 पटना, दिनांक– 28.06.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/उपायुक्त मद्य निषेध, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति निलंबित 301–देवलोक एपार्टमेन्ट, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/06/19

सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।